

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बली 2015

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर भीम  
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत बली

निर्णय दिनांक :- 21.05.2015

श्रीमति पूनीदेवी पत्नि मोतीसिंह रावत निवासी अमरती का बाडिया तहसील भीम  
बनाम

श्री छोगसिंह पिता मोटसिंह रावत वगैरह निवासी भील का खूटी बली तहसील भीम

प्रकरण संख्या :- 50/2012

अन्तर्गत धारा :- 212 आर.टी.ए

उपर्युक्त प्रकरण में वादिया श्रीमति पूनीदेवी पत्नि मोतीसिंह रावत निवासी अमरती का बाडिया तहसील भीम बनाम श्री छोगसिंह पिता मोटसिंह रावत वगैरह निवासी भील का खूटी बली तहसील भीम का प्रार्थना पत्र प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच आज दिनांक 21.05.2015 राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार 2015" कैम्प बली में सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। मौजा बली जस्ताखेडा के आराजी खसरा नम्बर 1270 रकबा 02 बीघा 06 वेस्वा किस्म बंझड भूमि पर वादिया की खातेदारी भूमि है।

अतः आपसी राजीनामे से वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय सुनाया गया।

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

श्रीमति पूनीदेवी पत्नि  
मोतीसिंह रावत  
(वादीया)

श्री छोगसिंह  
पिता मोटसिंह रावत  
(वादीया)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर भीम  
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

सहायक कलेक्टर एवं  
पीठासीन अधिकारी भीम  
उपखण्ड अधिकारी भीम  
जिला-राजसमन्द